न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.   /2017

III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/3201

वीरेन्द्र पाण्डेय, क्षेत्रीय महाप्रबंधक वेलस्पन एनर्जी प्रा.लि. अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--आवेदक

विरूद्ध

1. दिलीप कुमार **जैसवाल** पुत्र स्व. श्री शुब्बुलाल जैसवाल, निवासी- ग्राम बिजुरी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन **द्वारा** कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--अनावेदकगण

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला **अनूपपुर** द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अ-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31/08/2017 एवं की गयी तथा की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

श्री विनोद भार्गव द्वारा आज दि. 7-9-17 को प्रस्तुत

7-9-17

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
07-09-2017

14.09.17

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

1. यहकि, ग्राम छकई में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 341/1ख का आवेदक भूमि स्वामी है इसी प्रकार सर्वे क्रमांक 341 से **सटी** भूमि कमांक 362 म.प्र. शासन की भूमि आवेदक के 30 **वर्ष** की लीज पर आवेदक को म.प्र. शासन से प्राप्त हुई है।

2. यहकि, आवेदक द्वारा अपने भूमि स्वमी स्वत्व **की** भूमियों का सीमांकन कराकर चारों ओर से अत्यधिक राशि **व्यय** कर बाउण्डरी वाल बनायी हुई है।

3. यहकि, ग्राम छकई में सन् 1964-65 में चक**बन्दी हुई** थी तदानुसार ग्राम की संपूर्ण आराजीयों की चकबन्दी कर **नकशा तैयार** किया गया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/3201

वीरेन्द पाण्डेय, क्षेत्रीय महाप्रबंधक विरूद्ध दिलीप कुमार व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर अनूपपुर, जिला–अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 32/अ–74/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31–08–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण सं आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 15/3/2019	